रतनलाल वि/ भंवरलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रा.पत्र 424/22

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07/04/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता
प्रार्थीगण उप.। अधिवक्ता विपक्षी
व विपक्षी सं. 4 व 5 अनु.।
पूर्व मे जवाब हेतु पर्याप्त
अवसर दिए जा चुके है। आज
अनु.। विपक्षीगण के जवाब
का अवसर बन्द किया जाता
है। बहस प्रकरण बाबत प्रा.पत्र
212 RTA पर एक तरफा
सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण
ने प्रा.पत्र मे वर्णित तथ्यो
को दोहराते हुए निवेदन किया
कि विपक्षीगण को जरिए अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया
जावे कि वे ग्राम ओछडी
तहसील चित्तौडगढ़ मे स्थित
आराजी नम्बर 1194/882, 882मी.
890 कुल किता 03 कुल रकबा
1.3800 हे. मे किसी प्रकार का
हस्तक्षेप ना करे। हमने पत्रावली
का आद्योपान्त अवलोकन व
अध्ययन कर विद्वान अधिवक्ता
प्रार्थीगण की बहस पर चिन्तन
व मनन किया। पत्रावली मे
उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी
खाता सं. 193 के अवलोकन
से विदित हुआ है कि प्रार्थीगण
विवादित आराजीयात के खातेदार
होने से प्रथम दृष्टया मामला
व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण
के पक्ष मे होने से प्रार्थीगण

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा.पत्र रतनलाल व/ओ भंवरलाल 424/22
	का प्रा.पत्र 212 RTA स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम ओछड़ी तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी सं. 1194/882, 882मी. 890 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3800 हे. की मौके एवं रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप "ता फैसला वाद" ना तो स्वयं करे और ना ही अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद 220/22 के साथ संलग्न हो। (भानू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)